कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0— 125/2016-17

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
13.10.2020	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांकः– 03.09.1965 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0–914/रा0, दिनांकः–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भुमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी ।जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा लिमड़ा थाना नं0 41 खाता नं0 77 खेसरा नं0 x x रकबा 1.50 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास ,अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या I के पृष्ठ संख्या 97 पर जमाबंदी रैयत मैघा लोहार पिता/पति अधनु लोहार के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जनाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षन प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुननाना के आधार पर कायन की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जनीन की सृजित जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जनाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की नांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जनाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 21.10.20 को रखें। लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा अंचल अधिकारी कर्रा	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
21.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख संलग्न है। जमाबंदी रैयत मेघा लोहार पिता अघनु लोहार के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत हैः– **खतियान की स्थितिः–** मौजा लिमड़ा थाना नं0 41 के सर्वे खतियान में खाता सं0 77 गैरमजुरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :– मांग पंजी ii भाग सं0 1 पृष्ट सं0 97 में दर्ज जमाबंदी रैयत मेघा लोहार पिता अघनु लोहार के नाम से खाता सं0 77 कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है, मांग पंजी 2 में वर्ष 1988–89 प्रवृष्टि की गई है। **भूमि का वर्तमान स्वरूपः–** खाली परती है। **दखल कब्जा कि स्थितिः–**जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 77 कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। **स्थल जॉचः–** जमाबंदी रैयत या इनके वंशजों का मौजा इट्टे खाता नं0 77 कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि पर दखल नहीं पाया गया। जमाबंदी रैयत के वंशज या अन्य कोई भी व्यक्ति सुनवाई के क्रम में उपस्थिति नहीं दी गई। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत नावल्द मृत है। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के भाग सं0 1 पृष्ट सं0 97 में दर्ज खाता सं0 77 कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा लिमड़ा थाना नं0 41, खाता सं0 77 कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 21/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा। 21/10/2020 अंचल अधिकारी कर्रा।	